राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान,जयपुर

क्रमाक ई–20/म0स्वा0कार्य0/(जी–94)/2019/ दिनाक–

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमाक अराज/सामान्य/2018/642 दिनांक 12.07.2018 के क्रम सख्या 300 द्वारा श्रीमती गीता देवी शर्मा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का स्थानान्तरण/पदस्थापन सीएचसी दूनी, टोक, से उप स्वास्थ्य केन्द्र, चौरू, टोक किया गया है। श्रीमती गीता देवी शर्मा ने उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर मे अपील सख्या 4183/2018 दायर की, जिस पर माननीय अधिकरण ने दिनाक 05.11.2018 को आदेश पारित किया, जिसका मुख्याश निम्न प्रकार है.–

"प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियो एवं विशेषत: अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा व्यक्त सहमति को दृष्टिगत रखते हुये न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी दिनाक 27.11.2018 तक अपनी अपील मे वर्णित आधारो पर सक्षम प्राधिकारी को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार एव विभाग के दिशा–निर्देशो/परिपत्रो/नियमो के परिप्रेक्ष्य मे आगामी विधानसभा के होने वाले निर्वाचन के क्रम मे वर्तमान मे लागू आदर्श आचार सहिता (Model Code of Conduct) के समाप्त होने के 20 दिवस में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) जारी कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दे।"

साथ ही प्रकरण मे अपीलार्थीया के अधिवक्ता द्वारा माननीय अधिकरण मे अपने तर्क के समर्थन मे माननीय न्यायालय मे एकल पीठ द्वारा याचिका सख्या 17338/2018 (दुर्गा प्रसाद बनाम राजस्थान राज्य व अन्य) तथा प्रकरणो यथा 1 डॉ (श्रीमती) पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण एव अन्य 2 एकल पीठ सिविल रिट पिटीशन संख्या 18063/2016 मानप्रकाश शर्मा बनाम राजस्थान राज्य परिवहन निगम एव अन्य तथा 3 डी.बी.स्पेशल अपील रिट पिटीशन संख्या 1037/2017 मेघराज शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेशो का भी सहारा लिया है जिसके क्रम मे माननीय अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 05.11.2018 मे निम्न प्रकार उल्लेख किया है:–

"अपीलार्थी की जन्मतिथि के अनुसार उसकी सेवानिवृति होने मे शेष समय 20 माह का नही है अपितु अपीलार्थी 32 माह बाद सेवानिवृत होगी। ऐसी स्थिति मे अपीलार्थी की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त प्रकरणो मे पारित किए गए आदेशो से अपीलार्थी को कोई सहायता नही मिलती है और इस आधार पर आलौच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 12.07.2018 में हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।"

श्रीमती गीता देवी शर्मा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दूनी, जिला टोक ने दिनाक 16.11.2018 को प्रार्थना पत्र/अभ्यावेदन प्रस्तुत कर उल्लेख किया है कि वह दिनाक 02.06.2015 से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दूनी (टोंक) मे लगातार निष्ठापूर्वक कार्य कर रही है। निदेशालय के आदेश क्रमाक 642 दिनाक 12.07.218 द्वारा उनका स्थानान्तरण उप स्वास्थ्य केन्द्र, चौरू टोक मे कर दिया गया है लेकिन उनके स्थान पर अन्य कोई महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नही लगाई गई है। अत: उन्होने स्वयं के स्थानान्तरण आदेश को निरस्त करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दूनी, टोंक के रिक्त पद पर यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दूनी, टोक ने अपने क्रमाक सस्था/2019/40 दिनाक 18.01.2019 मे उल्लेख किया है कि कार्मिका का स्थानान्तरण निदेशालय के आदेश क्रमाक 642 दिनांक 12.07.2018 के द्वारा सीएचसी दूनी, टोंक, से उप स्वास्थ्य केन्द्र, चौरू, टोंक में कर दिया गया। कार्मिका ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर मे अपील सख्या 4183/2018 प्रस्तुत की। उक्त स्थगन आदेश की पालना में अपीलार्थीया को सस्था से कार्यमुक्त नही किया गया है एवं संस्थान पर ही कार्यरत है।

मेरे द्वारा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो, एव तथ्यो का अवलोकन एवं मनन किया गया। उक्त तथ्यो के आधार पर मै अपीलार्थिया के अभ्यावेदन में कोई सार नही पाता हू। फलस्वरूप एतद द्वारा निरस्त करता हू।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमाक ई–20/म0स्वा0कार्य0/(जी–94)/2019/553 दिनांक– 27/3/19

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
2 सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ जोन–अजमेर।
3 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक को प्रेषित कर लेख है कि अपलार्थीया/कार्मिका को नव पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।
4 प्रभारी, सर्वर रुम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5 सबधित कार्मिका को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6 आदेश/रक्षित पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

Desktop\ANM\ANM order 2019